IA (Mns) 6/7/18

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.–भूप्रआ / समु / आरआर. / 11 / 2 / 4 / 09–10 /   दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
कोटा ।

विषयः– तहसील किशनगंज ,जिला बारां के 12 ग्रामों की बन्द अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसग :– राजस्व ग्रुप–1 विभाग का पत्रांक प.13(4)राज–1 / 2010 दिनांक 13.6.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील किशनगंज जिला बारां के 12 ग्रामों की बन्द अधिसूचना दिनांक 13.6.2018 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां सलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

ह०
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 1711   दिनांकः– 5/7/18

प्रतिलिपिः–

1– प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.–1/2010 जयपुर, दिनांक 13 JUN 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसील किशनगंज, जिला बारां के समस्त ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांकः क्रमशः प0 13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 53 ग्राम दिनांक 21.02.2017, 74 ग्राम दिनांक 28.06.2017 एवं 48 ग्राम दिनांक 04.09.2017 इस प्रकार कुल 175 ग्राम बन्द घोषित किया जा चुका हैं। शेष 12 ग्रामों (संलग्न सूची अनुसार) का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्रामों के पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य को बन्द घोषित किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची

राज्यपाल की आज्ञा से

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/1195 दिनांक 15.05.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय भू–प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
04 JUL 2018
569
क्रमांक

तहसील किशनगंज जिला बारा के 12 ग्रामों की सूची

1	सेवनी	7	किशनगंज
2	लहरूनी	8	बोरेन
3	करवरी खुर्द	9	बकनपुरा
4	अहमदा	10	खेडली टाटियान
5	रामनगर उर्फ नया गांव	11	खेडली पंचभैयान
6	छत्रपुरा (नाहरगढ)	12	सुवांस

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(4)राज.–1/2010 जयपुर, दिनांक 13 JUN 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा तहसील किशनगंज, जिला बारां के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांकः क्रमशः प0 13(15)राज./ग्रुप–1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप–1/2011 दिनांक 15.12.2011 से प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 53 ग्राम दिनांक 21.02.2017, 74 ग्राम दिनांक 28.06.2017 एवं 48 ग्राम दिनांक 04.09.2017 इस प्रकार कुल 175 ग्राम बन्द घोषित किये जा चुके हैं शेष ग्रामों में से 12 ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से (धारा–106 की अधिसूचना के साथ संलग्न ग्रामों की सूची अनुसार) उक्त ग्रामों के अभिलेखों के आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य को बन्द घोषित किया जाकर अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009–10/1195 दिनांक 15.05.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव